न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 190/2024 तारीख रजू:-03.09.2024

पीठासीन अधिकारी :- हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. कुम्हेर सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान।
2. सोहनसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ
3. रुपवती पत्नि गोविन्द सिंह पुत्री रतनसिंह, निवासी महूइब्राहिमपुर, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान।

4.	तीर्थराज	पिसरान निहालसिंह,
5.	सर्वेश सिंह	जाति जाट,
6.	गोवर्धन सिंह	निवासी जटवाडा,
7.	सुरेश सिंह	तहसील सूरौठ

8. मछला देवी पुत्री निहालसिंह पत्नि केशव, जाति जाट, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।
9. चन्दा पुत्री निहालसिंह, पत्नि जगवीरसिंह, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान ——————————वादीगण

बनाम

1. कल्ला पुत्र श्रीचन्द, जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ

2.	अमरसिंह पुत्र स्व धन्ना	निवासी जटवाडा,
3.	श्यामसिंह पुत्र स्व. धन्ना	तहसील सूरौठ,
4.	समयसिंह पुत्र धन्ना	जिला करौली
5.	राधेश्याम पुत्र धन्ना	राजस्थान।
6.	विजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना	

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील सूरौठ। ———प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरारहक व खातेदारी हुक्म इम्तनाई दबामी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

उपस्थितः—1. श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट वादीगण

2. श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट प्रतिवादी सं01 ता 6

निर्णय

दिनांक :— 13.01.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि वकील वादीगण ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी एवं हुक्म इक्तनाई दबामी अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर. टी.एक्ट विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि मृतक रतनसिंह पुत्र चन्दन, जाति जाट निवासी जटवाडा ने तारीख 11.08.1997 को खसरा नं. 146 रकबा 1.28 हैक्टेयर खसरा नं 100 रकबा 0.12 हैक्टेयर खसरा नं. 161 रकबा 0.22 हैक्टेयर खसरा नं. 162 रकबा 0.35 कुल किता 4, कुल रकबा 1.97 हैक्टेयर ने प्रतिवादी सं. 1 कल्ला से उपरोक्त आराजी का हिस्सा 1/2 भाग दर हिस्सा 1/4 भाग तथा प्रतिवादी सं. 2 ता 6 के पिता स्व. धन्ना पुत्र चन्दन से उपरोक्त जमीन का हिस्सा 2/3 भाग दर हिस्सा 2/4 भाग, 1/3 जरिये रजिस्टर्ड वयनामा तारीखी 11.08.1997 को मुबलिग 50,000 रुपये में खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। प्रतिवादी सं. 1 कल्ला व मृतक धन्ना उपरोक्त आराजी के वरवक्त वयनामा, इसी तरह से खातेदार थे। वयनामा सब रजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी के यहाँ तस्दीक कराया था। वरवक्त वयनामा प्रतिवादी सं. 1 व मृतक धन्ना ने मृतक रतनसिंह को कब्जा संभला दिया था।

वाद पत्र के मद नं0 1 में दर्ज किया है कि रतनसिंह पुत्र चन्दन की मृत्यू करीब 15—20 साल पहले हो चुकी है। उनके वादी सं. 1, 2 व 3 स्व. निहाल लडका, लडकी थे। स्व. निहालसिंह के वादी नं. 4 ता 9 जायज वारिस व कानूनी वारिस है जिन्हें स्व. निहाल सिंह की ओर से दावा करने का अधिकार प्राप्त है।

वाद पत्र के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि मृतक रतनसिंह व प्रतिवादी सं. 1 कल्ला व मृतक धन्ना के घरेलू ताल्लुकात थे। वयनामा के आधार पर नामान्तकरण बदलवाने की जल्दबाजी नहीं थी इसलिए वयनामा के आधार

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

पर वादीगण ने खातेदारी नहीं करायी। खातेदारी पूर्व की तरह बदस्तूर चलती रही।

वाद पत्र के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि अब परिवार बडे–बडे हो चुके हैं तथा तहसील भी हिण्डौन सिटी से सूरौठ कर दी गई है। रेवन्यू रिकार्ड को सही कराने व खातेदारी कराने की आवश्यकता हुई है।

वाद पत्र के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि तारीख 01.07.2024 को वादीगण ने पटवारी हल्का से रजिस्ट्री ले जाकर खातेदारी बदलवाने की कहा तब पटवारी हल्का ने जबाव दिया कि तहसील बदल चुकी है व रजिस्ट्री भी पुरानी है, अतः आप एस.डी.ओ. हिण्डौन सिटी के यहाँ कार्यवाही करें।

वाद पत्र के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि वयनामा सबरजिस्ट्रार हिण्डौन सिटी के यहाँ पुस्तक सं. 1 जिल्द सं. 88 पृष्ठ सं. 5 क.सं. 829 अतिरिक्त पुस्तिक सं. 1 जिल्द सं. 123 पृष्ठ सं. 31 से 33 पर पंजीयन हुआ है।

वाद पत्र के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि प्रतिवादी सं. 7 उपरोक्त आराजी का वर्तमान में स्टेट हॉल्डर होने की वजह से फरीक बनाया है।

वाद पत्र के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य अब भी कोई विवाद नही है किन्तु प्रत्येक प्रतिवादीगण से बात करने में परेशानी है।

वाद पत्र के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि विनाय दावा दिनांक 01.07.2024 बमुकाम सूरौठ पटवारी हल्का से वयनामा के आधार पर खातेदारी कराने की कहने पर व उसके मना करने पर बमुकाम खिलाफ प्रतिवादीगण दावा हाजा अन्दर म्याद पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 10 में दर्ज किया है कि मालियत मुकदमा व पैदा होने विनाय दावा व अदालत कोर्टफीस 2 रुपये व सकूनात फरीकेन के श्रीमान को दावा सुनने का पूर्ण अधिकार है।

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

वाद पत्र के मद नं0 11 में दर्ज किया है कि दावा हाजा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी. एक्ट के कानूनन: पेश है।

वाद पत्र के मद नं0 12 में दर्ज किया है कि दावा वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न भॉति डिक्री करने के आदेश प्रदान करें।

वाद पत्र के मद नं0 12 के उपमद 12(क) में दर्ज किया है कि आराजीयात मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र की खातेदारी की घोषणा व मुताबिक वयनामा व मुताबिक मुतजिक्रा मद नं. 1 वादपत्र की जावें।

वाद पत्र के मद नं0 12 के उपमद 12(ख) में दर्ज किया है कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार पाबंद फरमाया जावें आराजीयात मुतजिक्रा मद न. 1 वादपत्र में वादीगण के हिस्से के उपयोग–उपभोग में बाधा मजाहमत न तो स्वंय पैदा करें और ना ही किसी अन्य से करावें तथा मौके पर कोई झगडा ना करें तथा उक्त आराजीयात का बेचान न करें तथा वादीगण को शांति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा ऐसा कोई कृत्य नहीं करे जिससे वादीगण के हक–हकूकों पर विपरीत प्रभाव पड़ें व किसी को रहन–व्यय न करें।

वाद पत्र के मद नं0 12 के उपमद 12(ग) में दर्ज किया है कि अन्य न्यायोचित अनुतोष बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण दिलाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 31.01.2025 को प्रतिवादी सं0 1 ता 6 की ओर से श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट ने उपस्थित होकर बकालतनामा एवं इकबालिया जबावदावा पेश किया। इकबालिया जबावदावा में अंकित किया मुताविक बैयनामा मुजिक्रा मद नं01 वाद के अनुसार खातेदारी किये जाने में प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील वादीगण ने दस्तावेजी सबूत में नकल जमाबन्दी सं0 2073–77 प्रदर्श–2, नकल जमाबन्दी सं0 2049–52 प्रदर्श–3, नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1997 उनवानी कल्ला पुत्र श्रीचन्द, धन्ना पुत्र श्री चन्दन जाति जाट

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–4 पेश किये हैं।

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने दौराने बहस वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है। वकील प्रतिवादीगण ने दौराने बहस मुताविक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। वादीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत नकल जमाबन्दी सं0 2073–77 प्रदर्श–2 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 1286 रकबा 0.59 है0, 1287 रकबा 0.20 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील सूरौठ की खातेदारी अमरसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, कुम्हेरसिंह पुत्र रतन हि0 1/18, कल्ला पुत्र श्रीचन्द हि0 1/3, जगमोहन पुत्र घीस्या हि0 1/6, निहालसिंह पुत्र रतन हि0 1/18, बृजमोहन पुत्र घीस्या हि0 1/6,राधेश्याम पुत्र धन्ना हि0 1/30, विजेन्द्रसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, श्यामसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, समयसिंह पुत्र धन्ना हि0 1/30, सोहनसिंह पुत्र रतन हि0 1/18 जाति जाट सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल जमाबन्दी सं0 2049–52 प्रदर्श–3 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.28 है0, 160 रकबा 0.12 है0, 161 रकबा 0.22 है0, 162 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन की खातेदारी घीस्या रतन धन्ना पि0 चन्दन भाग 2/3, बृजमोहन जगमोहन पि0 घीस्या निहालसिंह कुम्हेरसिंह पि0 रतनसिंह भाग 1/3 दर हिस्सा 1/4, जीतमल पुत्र जोरावर हि0 1/2 दर हि0, घीस्या रतन धन्ना पि0 चन्दन चौथी पुत्र मायाराम हि0 1/2, चौथी मिश्री परताप रामलाल पि0 शिवनारायण, कल्ला पुत्र श्रीचन्द बहिस्सा बराबर 1/2 जाति जाट दर हिस्सा 1/4 सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है तथा इसी जमाबन्दी पर अंकित नोट नामान्तकरण सं0 100 दिनांक

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

अपठनीय के द्वारा खाता चौथी पुत्र मायाराम के बजाय मानसिंह अजयसिंह त्रिलोकसिंह जयसिंह पिसरान चौथी भौती बेबा चौथी के नाम स्वीकार हुआ दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 174 दिनांक 19.07.1995 के द्वारा मृतक घीस्या के बजाय खातेदारी बृजमोहन जगमोहन पि0 घीस्या के नाम स्वीकार हुई, शेष हिस्सा जमाबन्दी के मुताविक बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है तथा नोट नामान्तकरण सं0 175 दिनांक 19.07.1995 के अनुसार मृतक चौथी मिश्री परताप रामलाल पिसरान शिवनारायण के बजाय कल्ला पुत्र श्रीचन्द जाति जाट के नाम स्वीकार हुआ है शेष हिस्सा जमाबन्दी के मुताविक बदस्तूर दर्ज रिकार्ड है।

नकल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1997 उनवानी कल्ला पुत्र श्रीचन्द, धन्ना पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष प्रदर्श–4 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.28 है0, 160 रकबा 0.12 है0, 161 रकबा 0.22 है0, 162 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन में विक्रेतागण प्रथमपक्ष कल्ला पुत्र श्रीचन्द हि0 1/2 भाग दर हिस्सा 1/4 भाग तथा धन्ना पुत्र श्री चन्दन हि0 2/3 भाग दर हिस्सा 1/4 भाग का 1/3 भाग सम्पूर्ण का बेचान क्रेता द्वितीय पक्ष रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन के हक में किया गया है तथा विक्रीत भूमि पर कब्जा वाकई मौके पर क्रेता द्वितीय पक्ष को संभलाना अंकित किया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.28 है0, 160 रकबा 0.12 है0, 161 रकबा 0.22 है0, 162 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन में से विक्रेतागण प्रथमपक्ष कल्ला पुत्र श्रीचन्द हि0 1/2 भाग दर हिस्सा 1/4 भाग तथा धन्ना पुत्र श्री चन्दन हि0 2/3 भाग दर हिस्सा 1/4 भाग का 1/3 भाग सम्पूर्ण का बेचान क्रेता द्वितीय पक्ष रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन के हक में किया गया है तथा विक्रीत भूमि के बाबत् उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर वादीगण अपने नाम खातेदारी कराना चाहते

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

हैं। उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज केता एवं विकेता फौत हो चुके हैं। इसलिए उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर केता रतनसिंह के वारिसान की जॉच कर नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करने के आदेश तहसीलदार सूरौठ को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। ऐसे हालात में वादीगण का दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं हुक्मईम्तनाई दवामी डिक्री योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण दावा बाबत् घोषणा खातेदारी एवं हुक्मईम्तनाई दवामी डिक्री किया जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1997 उनवानी कल्ला पुत्र श्रीचन्द, धन्ना पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विकेतागण प्रथमपक्ष बहक रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – केता द्वितीय पक्ष में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.28 है0, 160 रकबा 0.12 है0, 161 रकबा 0.22 है0, 162 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ का केता रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा के वारिसान की पूर्ण जॉच पडताल कर नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे। उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम –हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. कुम्हेर सिंह पुत्र स्व. श्री रतन सिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ, जिला करौली, राजस्थान।

2. सोहनसिंह पुत्र रतनसिंह, जाति जाट, निवासी जटवाडा, तहसील सूरौठ

3. रुपवती पत्नि गोविन्द सिंह पुत्री रतनसिंह, निवासी महूइब्राहिमपुर, तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राजस्थान।

4.	तीर्थराज	पिसरान निहालसिंह,
5.	सर्वेश सिंह	जाति जाट,
6.	गोवर्धन सिंह	निवासी जटवाडा,
7.	सुरेश सिंह	तहसील सूरौठ

8. मछला देवी पुत्री निहालसिंह पत्नि केशव, जाति जाट, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान।

9. चन्दा पुत्री निहालसिंह, पत्नि जगवीरसिंह, निवासी खेडी देवीसिंह, तहसील नदबई, जिला भरतपुर राजस्थान ———————————वादीगण

बनाम

1. कल्ला पुत्र श्रीचन्द, जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील सूरौठ

2.	अमरसिंह पुत्र स्व धन्ना	निवासी जटवाडा,
3.	श्यामसिंह पुत्र स्व. धन्ना	तहसील सूरौठ,
4.	समयसिंह पुत्र धन्ना	जिला करौली
5.	राधेश्याम पुत्र धन्ना	राजस्थान।
6.	विजेन्द्र सिंह पुत्र धन्ना	

7. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील सूरौठ। ———प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत् इस्तकरार हक, व खातेदारी, हुक्मईम्तनाई दवामी

मुकदमा नं0190 / 2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री लखनलाल गोयल एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री नरेन्द्रसिंह जादौन एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाकर तहसीलदार सूरौठ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 11.08.1997 उनवानी कल्ला पुत्र श्रीचन्द, धन्ना पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – विक्रेतागण प्रथमपक्ष बहक रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा तहसील हिण्डौन – क्रेता द्वितीय पक्ष में दर्ज आराजी खसरा नम्बर 146 रकबा 1.28 है0, 160 रकबा 0.12 है0, 161 रकबा 0.22 है0, 162 रकबा 0.35 है0 वाके ग्राम जटवाडा तहसील हिण्डौन हाल तहसील सूरौठ का क्रेता रतनसिंह पुत्र श्री चन्दन जाति जाट निवासी जटवाडा के वारिसान की पूर्ण जॉच पडताल कर नियमानुसार नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय व डिक्री एवं उक्त रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की प्रति तहसीलदार सूरौठ को पालनार्थ भेजी जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.01.2026 को यह डिक्री जारी की गई।

13/1/26

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)